

Government to agree to the full convertibility of the rupee on the capital account at an early date

(b) if so, the Government's response to the suggestion, and

(c) whether in formulating Government's position in the matter the turmoil that has overtaken several South East Asian countries since October, 1997 is being borne in mind?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The Government takes all the relevant factors into account while formulating its policies in this regard.

Cases Regarding Securities Scam

3735. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

DR. JAGANNATH MISRA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total number of cases filed in connection with the Securities Scam following the presentation of the report of the Joint Parliamentary Committee thereon;

(b) the status of the stage of investigation/prosecution of these cases;

(c) the number of cases yet to be filed on the basis of the recommendations of the Joint Parliamentary Committee; and

(d) the time by which those cases are expected to be filed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAN): (a) and (b) Central Bureau of Investigation (CBI) has registered in all 72 cases so far in connection with the irregularities in securities and banking transactions. The position of these cases are given below:—

1. Chargesheet filed 39 cases (cases pending trial 37 as 2 cases have been disposed off ending in acquittal).

2. Cases pending sanction for prosecution	2 cases
3. Prosecution order issued	2 cases
4. Chargesheet to be filed	2 cases
5. Cases referred for Departmental Action/otherwise disposed off	24 cases
6. Investigation completed under scrutiny for order	1 case
7. Cases pending investigation/enquiry	2 cases

(c) Nil.

(d) Does not arise.

Cases Referred to DRTs

3736. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of cases referred to the Debt Recovery Tribunals (DRTs) since it was set up on 24th June, 1993 by various banks and financial institutions, bank-wise and year-wise;

(b) the amount of dues involved in these cases; and

(c) the number of cases disposed off and the amount of dues recovered?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAN): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Approval for Increasing Market Borrowing by Tripura

3737. SHRI KHAGEN DAS: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government of Tripura got the approval of the Central Government for increasing market borrowings during 1998-99;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of the Central Government to this proposal?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) to (c) The level of market borrowings by the State during 1998-99 is yet to be decided.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा

3738. श्री मनोहर कान्त ध्यानी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा की है,

(ख) क्या यह सच है कि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में ऋण जमा अनुपात 85 : 15 है,

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है, और

(घ) ऋण का अनुपात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, अगर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्रियाकलापों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उनके परिचालनों की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सूचानुसार, दिनांक 31-3-97 की स्थिति के अनुसार, पिछड़े एवं पर्वतीय जिलों में परिचालन कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात 48 प्रतिशत है। जबकि देश के पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में परिचालन कर रहे कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित ऋण जमा अनुपात के कम होने की जानकारी दी गई है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि उनका ऋण जमा अनुपात 85 : 15 है। यह जिक्र किया जा सकता है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात लगभग 45 प्रतिशत है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित करने के कई पैकालिपिक माडलों पर विचार करने के पश्चात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्वयं सक्षमता (स्टैंड एलोन) के आधार पर उनके तुल्य पत्रों में सुस्पष्टता लेकर उन्हें पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, व्यापक पुनर्गठन हेतु वर्ष 1994-98 के दौरान 151 क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंकों को लिया गया था। मार्च 1998 तक सरकार द्वारा कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 151 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 774 करोड़ रुपये (लगभग) की इक्विटी सहायता प्रदान की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूँजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए चालू वर्ष के दौरान 265 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

(घ) कई पहलू हैं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण जमा अनुपात को निर्धारित करते हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक की जमाप्राप्ति का स्तर तथा और जमाप्राप्ति जुटाने की संभावना, क्षेत्र की ऋण खपत क्षमता, जिले में औद्योगिक क्रियाकलापों और ऋण संवितरण बढ़ाने की संभावना, ऋण वसूली की दर और निधियों के पुनर्निवेश की मात्रा शामिल है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में कम ऋण जमा अनुपात के कारणों का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि में ऋण जमा अनुपात समितियों की नियुक्ति भी की है। इन समितियों ने अपनी रिपोर्टें दे दी हैं और उचित उपचारी उपायों के लिए सम्बन्धित राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों में उस पर विचार-विमर्श किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि ये संस्थाएँ सतत रूप से अर्थक्षम हों। चुने हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूँजीकरण सहायता प्रदान करने के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए बैंक विशेष विकास कार्य योजनाएँ (डीएपी) तैयार की गई हैं। इसके अतिरिक्त, आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण मानदण्डों को वर्ष 1995-96 से लागू किया गया है और प्रावधान करने सम्बन्धी मानदण्डों को 1996-97 से लागू किया गया है। शाखा नेटवर्क के युक्तियुक्तकरण के मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधन में प्रायोजक बैंकों की भूमिका को भी बढ़ाया गया है। आशा की जाती है कि इन कदमों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय रूप से अर्थक्षम बनेंगे और विकेंद्रित ग्रामीण बैंकिंग के प्रभावी तंत्र के रूप में उभरेंगे।

Provisions of Section 80-IA of Income-Tax Act, 1961

3739. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of the provisions of Section 80-IA of the Income Tax Act, 1961;